

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1215
11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र विनिर्माण इकाइयों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन राशि

1215. श्री गुरजीत सिंह औजला:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने अमृतसर के सीमावर्ती क्षेत्र में वस्त्र उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या इस क्षेत्र में वस्त्र विनिर्माण इकाइयों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु किन्हीं वित्तीय पैकेज योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है;
- (ग) क्या सरकार की अमृतसर के सीमावर्ती क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने हेतु वहां कोई वस्त्र पार्क, कौशल विकास केन्द्र और संकुल स्थापित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता और आधुनिकीकरण को बढ़ाने के लिए निजी कंपनियों अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग अथवा साझेदारी का ब्यौरा क्या है;
- (ङ) अमृतसर के संबंध में अवसंरचना अंतरालों, निर्यात संवर्धन और वस्त्र उत्पादों के लिए बाजार पहुंच जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (च) यदि नहीं, तो इस सीमावर्ती क्षेत्र में वस्त्र विकास पर लक्षित ध्यान न दिए जाने के क्या कारण हैं और इसके समाधान हेतु विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिता)

(क) से (च): भारत सरकार अमृतसर के सीमावर्ती क्षेत्र सहित पूरे भारत में वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं/पहलें लागू कर रही है। प्रमुख योजनाओं/पहलों में पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल (पीएम मित्र) पार्क योजना, जिसका उद्देश्य एक आधुनिक, एकीकृत वृहद पैमाने पर, विश्व स्तरीय औद्योगिक इकोसिस्टम को बनाना है, जो निवेश आकर्षित करने और रोजगार को बढ़ावा देने में मदद करेगा; उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए मानव निर्मित फाइबर और अपैरल, तथा तकनीकी वस्त्र पर फोकस करती है; अनुसंधान नवाचार और विकास, संवर्धन एवं बाजार विकास, कौशल और निर्यात संवर्धन पर फोकस करने वाला राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन; मांग आधारित, रोजगार उन्मुख, कौशल कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ योजना; बेंचमार्क टेक्सटाइल मशीनरी में पात्र निवेश के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी के माध्यम से प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एटीयूएफएस; रेशम उत्पादन मूल्य शृंखला के व्यापक विकास के लिए सिल्क समग्र-2; हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों को एंड टू एंड सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) शामिल है।

इसके अलावा, सरकार की भूमिका अनुकूल नीतियाँ बनाकर ऐसा माहौल तैयार करना है, जिससे उद्योग और निजी उद्यमी अपनी योजनाओं के तहत नए उद्यम आसानी से स्थापित कर सकें। इन पहलों के कारण पंजाब के अमृतसर जिले सहित पूरे देश में कई हथकरघा, विद्युतकरघा, रेडीमेड गारमेंट्स, सिंथेटिक यार्न और होजरी निर्माण इकाइयाँ स्थापित की गई हैं।

इसके अलावा, वस्त्र क्लस्टर विकास योजना (टीसीडीएस) की व्यापक योजना के तहत, एकीकृत वस्त्र पार्क (एसआईटीपी) योजना की तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी और पंजाब राज्य में वस्त्र हब में विश्व स्तरीय, अत्याधुनिक अवसंरचना प्रदान करने वाली सभी तीन परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा, पंजाब के अमृतसर जिले में वस्त्र क्लस्टर में 225 विद्युतकरघा इकाइयां, 2,880 विद्युतकरघा शटल लूम और 640 विद्युतकरघा शटललेस लूम शामिल हैं।

इसके अलावा, सरकार वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए (समर्थ) योजना (एससीबीटीएस) को लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य मांग आधारित, रोजगार उन्मुख राष्ट्रीय कौशल अहर्ता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप कौशल कार्यक्रम प्रदान करना है, ताकि संगठित वस्त्र (स्पिनिंग और विविंग को छोड़कर) और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन में उद्योग के प्रयासों को प्रोत्साहित और पूरक बनाया जा सके और पारंपरिक क्षेत्रों में कौशल और कौशल उन्नयन प्रदान किया जा सके। पंजाब राज्य में कुल 893 कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 667 को रोजगार प्राप्त हुआ है।
